वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2009

आयकर

का.आ. 99(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (15) के उप-खण्ड (iv) के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कम्पनी लिमिटेड द्वारा कर मुक्त बांडों, जिन पर अधिकतम 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर मिलेगी, जिनकी कुल राशि दस हजार करोड़ रुपए मात्र है, जिसे इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कम्पनी लिमिटेड द्वारा वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान जारी किया जाएगा, के निर्गम को अधिसूचित करती है :

बशर्ते कि उक्त खण्ड के अंतर्गत लाभ तभी ग्राह्य होंगे जब इन बांडों का धारक उक्त कारपोरेशन के पास अपना नाम एवं धृति पंजीकृत कराएगा/कराएगी ।

[अधिसूचना सं. 09/2009/फा. सं. 178/95/2008-आ.क.नि.-I]

पदम सिंह, अवर सचिव